<u>न्यायालयः—सतीश कुमार खाखा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u>
<u>लिंक कोर्ट नवागढ़, जिला—जांजगीर चांपा छ0ग0</u>

आपराधिक प्रकरण क्रमांक— 45/2017

संस्थित दिनांक—24—01—2017

CNR No. CGJC10000012017

छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा— आरक्षी केन्द्र नवागढ़,

जिला जांजगीर चांपा छ०ग०..**अभियोजन**

//विरूद्ध//

सूर्यशरण दुबे पिता अयोध्या प्रसाद दुबे उम्र २७ साल,

साकिन भवरेली थाना सारागांव जिला जांजगीर चांपा

छ०ग०...**आरोपी**

// निर्णय//

(**<u>आज दिनांक 01/04/2019 को घोषित</u>**)

---

1. प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के धारा 292, 509 भा.द.सं. एवं 66(ग) एवं 67 (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 15—01—2016 के 15.20 बजे के पूर्व ग्राम भठली अंतर्गत थाना नवागढ़ में प्रार्थीया की अश्लील फोटो अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अन्य लोगो को वितरित कर, प्रार्थीया की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रार्थीया एकान्ततः का अतिक्रमण कर, प्रार्थीया के नाम को दर्शित करते हुए फेसबुक पर फेक आई.डी. बनाकर प्रकरण की प्रार्थीया की पहचान कपटपूर्वक या बेईमानी से उपयोग किया एवं उपरोक्त फेक फेसबुक आई.डी. पर प्रार्थीया की अर्धनग्न अश्लील फोटो अपलोड कर उपरोक्त फोटो को प्रकाशित एवं पारेषित किया जिसमें लैंगिक आचरण अंतरविष्ट है।

2. प्रकरण में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक, समय और उससे पूर्व आरोपी जो पीड़िता जो ग्राम भठली निवासी को जानता था

उसके पहचान का फायदा उठाकर पीड़िता के नाम पर फेसबुक एकाउन्ट खोला था और उसी की ओर से किसी अन्य लड़के व दोस्तो को अश्लील मैसेज भेजता था आरोपी पीड़िता से शादी करना चाह रहा था किन्तु पीड़िता के परिजनो को आरोपी पसन्द नही था इसी कारण पीड़िता को बदनाम करने के लिए उसके नाम का फेसबुक एकाउंट खोलकर अश्लील मैसेज करता था इसकी जानकारी पीड़िता को मिली जब उसके भाई गवाह प्रकाश तिवारी एवं हितेश दुबे ने उसे बताया इसी बीच आरोपी ने पीड़िता के फेसबुक एकाउंट में पीड़िता को अपमानित करने बेइज्जत करने बदनाम करने के नियत से किसी अन्य महिला के अर्धनग्न और कामोत्तेजक अश्लील शरर के साथ अहिता के चेहरे को मिक्सींग कर फेसबुक में अपलोड कर दिया था जिसकी लिखित शिकायत मिलने पर सायबर सेल के माध्यम से की गई जांच से प्राप्त आई.पी. एड्रेस सी.डी.आर. एवं एस.डी.आर. आरोपी सूर्यशरण के द्वारा उपयोग की जाने वाली सीम नं. 7898845932 का आरोपी व सीम नं.7470900423 के साथ IMEI No. 351960055714970 तथा 351960055714960 में उपयोग करना जो उक्त IMEI No. तथा सीम का उपयोग आरोपी सूर्यशरण को दिया जाना पाया गया जो प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सूर्यशरण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी के पेश करने पर उक्त टुटा हुआ मोबाईल तथा सही हालात में सीम तथा मोबाईल जप्त किया गया है फेसबुक के अपलोड अर्धनग्न चित्र का दृष्य पंचनामा व पहचान पंचनामा तैयार किया गया है। प्रार्थी गवाहो के कथन घटना स्थल निरी. पंचनामा से आरोप प्रमाणित पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियम रिमाण्ड पर भेजा गया है आरोप प्रमाणित व अभियोग पत्र पूर्ण होने पर अभियोग पत्र 10/2017 तैयार कर विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया।

4. आरोपी के विरूद्ध धारा 292, 509 भा.द.सं. एवं 66(ग) एवं 67 (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया है। दं.प्र.सं. की धारा 313(1)(ख) के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये

जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में साक्ष्य नही देना व्यक्त किया है।

<u>प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैः–</u>

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15–11–2016 के 15.20 बजे पूर्व ग्राम भठली अंतर्गत थाना नवागढ़ में प्रार्थीया की अश्लील फोटो अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अन्य लोगो को वितरित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थीया की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रार्थीया एकान्ततः का अतिक्रमश किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रकरण की प्रार्थीया के नाम को दर्शित करते हुए फेसबुक पर फेक आई.डी. बनाकर प्रकरण की प्रार्थीया की पहचान कपटपूर्वक या बेईमानी से उपयोग किया एवं उपरोक्त् फेक फेसबुक आई.डी. पर प्रार्थीया की अर्धनग्न अश्लील फोटो अपलोड कर उपरोक्त फोटो को प्रकाशित एवं पारेषित किया जिसमें लैंगिक आचरण अंतरविष्ट है ?
4. दोषसिद्धी/दोषमुक्ति एवं दण्डादेश?

<u>//सकारण निष्कर्ष//</u>

5. प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में साक्षी प्रार्थीया/पीड़ीता अ.सा.–०१, शांति तिवारी अ.सा.–०२, रामकुमार तिवारी अ.सा.–०३, प्रकाश तिवारी अ.सा.–०४, हितेश दुबे अ.सा.–०५, दिलीप कुमार पाण्डेय अ.सा.–०६, कृष्णा जायसवाल अ.सा.–०७, कृष्ण कुमार मिश्रा अ.सा.–०८, ज्योति तिवारी अ.सा.–०९, आरती तिवारी अ.सा.–१०, गांधीदास महंत अ.सा.–११ एवं कृष्ण कुमार साहू अ.सा.–१२ को परिक्षित कराया है।

वहीं बचाव पक्ष को द.प्र.सं. की धारा ३१३(१)(ख) के तहत परीक्षण के समय बचाव साक्ष्य हेतु पूछे जाने पर उन्होने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

6. प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने पुलिस अधिक्षक जांजगीर को फेसबुक पर बिना जानकारी के आई.डी. बनाने के संबंध में शिकायत पत्र प्र.पी.–०१, प्रार्थीया का कथन प्र.पी.–०२, प्रार्थीया का १६४ का कथन प्र.पी.–२अ, शांति तिवारी का कथन प्र.पी.–०३रामकुमार तिवारी का कथन प्र.पी.–०४, प्रकाश तिवारी का कथन प्र.पी.–०५, धारा १६० सी.आर.पी.सी. का नोटीस प्र.पी.–०६, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.–७, मेमोरेण्डम धारा २७ साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.–८, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.–९, तलाशी पंचनामा प्र.पी.–१०, हितेश दुबे का कथन प्र.पी.–११, दिलीप कुमार पाण्डेय का कथन प्र.पी.–१२, कृष्ण जायसवाल का कथन प्र.पी.–१३, कृष्ण कुमार मिश्रा का कथन प्र.पी.–१४, पंचनामा पहचान प्र.पी.–१५, दृष्य पंचनामा प्र.पी.–१६, पंचनामा प्रमाण पत्र प्र.पी.–१७, साइबर सेल जांजगीर द्वारा संबंधित मोबाईल कंपनी से प्राप्त कॉल डिटेल की प्रति जो ०८ प्रति में है प्र.पी.–१८ है, साइबर सेल जांजगीर से संबंधित मोबाईल कंपनी से प्राप्त कॉल डिटेल की प्रति प्र.पी.–१९ है, साइबर सेल जांजगीर से संबंधित मोबाईल कंपनी से प्राप्त कॉल डिटेल की प्रति प्र.पी.–२० है, साइबर सेल जांजगीर से संबंधित मोबाईल कंपनी से प्राप्त कॉल डिटेल की प्रति प्र.पी.–२१ है, साइबर सेल जांजगीर से संबंधित मोबाईल कंपनी से प्राप्त कॉल डिटेल की प्रति प्र.पी.–२२ है, साइबर सेल जांजगीर से संबंधित मोबाईल कंपनी से प्राप्त कॉल डिटेल की प्रति प्र.पी.–२३ है, साइबर सेल द्वारा संबंधित मोबाइल कंपनी से आरोपी को जारी किये गये मो.नंबर ७४७०९००४२३ की जानकारी प्र.पी.–२४, साइबर सेल द्वारा संबंधित मोबाइल कंपनी से आरोपी को जारी किये गये मो.नंबर ७८९८८४५९३२ एवं ७२२४९२४०५९ की जानकारी प्र.पी.–२५, साइबर सेल द्वारा संबंधित मोबाइल कंपनी से मो.नंबर ९१७४७०९००४२३ की IP Address की जानकारी प्र.पी.–२६ जो ४ पन्ने में है। प्रार्थीया/पीड़ीता द्वारा प्रस्तुत शिकायत जांच के संबंध में प्र.पी.–२७ है, धारा ६५ बी साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रानिक साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र प्र.पी.–२८ को अभियोजन पक्ष ने अपने

समर्थन में प्रदर्श अंकित कराया है। वही बचाव पक्ष द्वारा प्रार्थीया और आरोपी के मध्य हुयी वार्तालाप प्र.डी.–०१ को प्रदर्श अंकित कराया गया है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ एवं ०२ का सकारण निष्कर्ष–

दोनों विचारिणीय बिन्दु एक दूसरे से अन्योश्रित है, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति एवं साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न क्र. १ एवं २ यह है कि क्या आरोपी ने दिनांक 15–11–2016 के 15.20 बजे पूर्व ग्राम भठली अंतर्गत थाना नवागढ़ में प्रार्थीया की अश्लील फोटो अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अन्य लोगो को वितरित कर प्रार्थीया की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रार्थीया एकान्ततः का अतिक्रमश किया ?

8. **अभियोजन को, आरोपी के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 292 के प्रमाणन हेतु निम्नलिखत संघटकों को प्रमाणित किया जाना आवश्यक हैः–**

1. प्रश्न में चीज अश्लील थी।
2. अभियुक्त ने किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो बेचा, भाड़े पर दिया, वितरित किया, लोक प्रदर्शित किया या उसको किसी भी प्रकार से परिचालित किया या उसका विक्रय करने, भाड़े पर देने, वितरण करने, लोक प्रदर्शन करने या परिचालन करने या ऐसे प्रयोजनों के प्रयोजनों के लिए रचा, उत्पादित किया या अपने कब्जे में रखा।
3. अभियुक्त ने किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी

प्रयोजन के लिए किया या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए किया कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर, वितरित, लोक प्रदर्शित या किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी।

4. अभियुक्त ने किसी ऐसी कारबार में भाग लिया या उससे लाभ प्राप्त किया, जिस कारबार में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुए पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची, उत्पादित, क्रय, रखी, आयात, निर्यात, प्रवहण, लोकप्रदर्शित या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है।
5. अभियुक्त ने विज्ञापन कराया या किन्ही साधनों के द्वारा चाहे वे कुछ भी हो, यह ज्ञात कराया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
6. अभियुक्त ने किसी ऐसे कार्य को, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा २९२ के अधीन अपराध है, करने की प्रस्थापना किया।

9. अभियोजन को, आरोपी के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 509 के प्रमाणन हेतु निम्नलिखत संघटकों को प्रमाणित किया जाना आवश्यक हैः–

1. यह कि अभियुक्त ने कुछ शब्द कहा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप किया या कोई वस्तु प्रदर्शित किया या किसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण किया।

2. यह कि ऐसा करने मे अभियुक्त का यह आशय था कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाय या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए।
3. यह कि अभियुक्त तद्द्वारा उस स्वी की लज का अनादर करना चाहता था।

10. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में कथन किया गया है कि अभियोजन के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ऐसा कोइ भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि प्रकरण में जिन मोबाइल नंबरो का उपयोग करते हुये प्रार्थीया और उसके परिजनो को अश्लील फोटो भेजी गयी है वह नंबर आरोपी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है तथा अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिसने यह कथन किया हो कि संबंधित मोबाईल नंबर को ही आरोपी उपयोग में लाकर प्रार्थीया/पीड़िता की अश्लील फोटो उस मोबाईल फोन के माध्यम से अन्य लोगो को वितरित कर प्रार्थीया की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रार्थीया एकान्ततः का अतिक्रमश किया।

11. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य का परिशीलन किया गया जिसमें अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अ.सा.–०१ जो कि प्रकरण में प्रार्थीया/पीड़िता है। उसके द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये कहा है कि उसके और अभियुक्त के विवाह के संबंध में दोनो परिवार में चर्चा हुयी थी, किन्तु उसके परिवार वालो को रिश्ता उचित नही लगने के कारण उनकी शादी तय नही हुयी। जिससे नाराज होकर अभियुक्त ने उसके नाम की फर्जी फेसबुक आइ. डी. बनायी और उस फेसबुक की आइ.डी. में उसके फोटो को बिगाड़कर अश्लील फोटो बनाकर उसके पिता रामकुमार तिवारी के मो. नं. ९९९३९३०२६४ में अभियुक्त द्वारा ७४७०९००४२३, ७८९८८४५९३२ नंबरो से अश्लील एम.एम.एस. किया करता था। इसकी जानकारी उसके भाई प्रकाश तिवारी एवं रिश्ते के भाई

हितेश दुबे से हुयी थी। जिसके संबंध में उसने थाना नवागढ़ में एवं साइबर सेल जांजगीर में तथा पुलिस अधिक्षक जांजगीर के समक्ष लिखित शिकायत प्र.पी.–१ प्रस्तुत किया था। जिसके कथनो का समर्थन अ.सा.–०२ शांति तिवारी जो कि पीड़िता/प्रार्थीया की माता है, अ.सा.–०३ रामकुमार तिवारी जो प्रार्थीया के पिता है, अ.सा.–०४ प्रकाश तिवारी जो कि प्रार्थीया का भाई है एवं अ.सा.–०५ हितेश दुबे के द्वारा किया गया है।

12. किन्तु अ.सा. 01 प्रार्थीया/पीड़िता ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में स्वीकार की है कि वह और अभियुक्त आपस में बात किया करते थे, साथ ही प्रार्थीया ने यह भी बतायी है कि वह अभियुक्त की मॉ से भी बात किया करती थी, किंतु प्रार्थीया ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह और अभियुक्त आपस में शादी करना चाहते थे, और प्रार्थीया ने उसके और अभियुक्त के मध्य हुए प्र.डी. 01 के 07 पन्नों के वार्तालाप को स्वीकार किया है। यद्यपि प्रकरण में अभियोजन की ओर संलग्न दस्तावेजों/छायाचित्र में प्रार्थीया का बिगाड़ा हुआ अर्द्धनग्न छायाचित्र है। किन्तु इस संबंध में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई भी प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। यद्यपि अ.सा.–०२ शांति तिवारी का परीक्षण अखंडनीय रहा है किन्तु अ.सा.–०३ रामकुमार तिवारी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका ३ के पंक्ति ३–६ में यह स्वीकार किया है कि उसे याद नही है कि उसकी बेटी ने किस दिनांक को अभियुक्त को शक के आधार पर फर्जी फेसबुक के आधार पर पूछा और किस दिनांक को ऐसा पूछने के तुरंत बाद ही फर्जी फेसबुक बंद हो गयी तथा वह अंजान नंबर के संबंध में नही जानता है तथा अ०सा०–०४ प्रकाश तिवारी के द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका ४ की पंक्ति १६ में यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा पुलिस में रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वयं प्रार्थीया एवं उनके कथनो के समर्थनकर्ता साक्षियो के द्वारा प्रकरण में ऐसे कोई भी मो. नं. का स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि जिस मो. नं. से प्रार्थीया की अश्लील फोटो अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आरेापी के द्वारा ही अन्य

लोगो को वितरित करते हुये प्रार्थीया की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रार्थीया के एकान्ततः का अतिक्रमण किया।

13. यद्यपि अ.सा. 12 कृष्णकुमार साहू जो कि सहायक उपनिरीक्षक के पद पर साईबर सेल जिला पुलिस कार्यालय जांजगीर में पदस्थ है तथा उसने अपने न्यायायलीन साक्ष्य में उसके द्वारा किये गये समस्त कार्यवाहियों को प्रमाणित किया है। किन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव प्रश्न को स्वीकार किया है **कि जिन नंबरो का उसने परीक्षण किया उसमें से कोई भी नंबर का अभियुक्त पंजीकृत धारक नहीं है तथा हेकर कोई भी मोबाईल के पासवर्ड से छेड़छाड़ कर सकता है और मोबाईल को हेक करने पश्चात किसी भी व्यक्ति को मैसेज किया जा सकता है।**

14. प्रकरण में अभियोजन पक्ष प्रकरण के विवेचनाधिकारी आर.जी. देवांगन को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखने में असमर्थ रहा है, किंतु उससे प्रकरण में उसके द्वारा प्रस्तुत विवेचना कार्यवाही के अभिलेख संलग्न है मात्र विवेचनाधिकारी को साक्ष्य हेतु आहूत नहीं करा पाना उसके द्वारा किये गये विवेचना की कार्यवाही को संदेहास्पद नहीं किया जा सकता है इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत ''रामदेव विरूद्ध स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (1995) Supp.1 SCC 547'' अवलोकनिय है जसिमें माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–इसी प्रकार माननीय न्यायालय का एक अन्य न्यायदृष्टांत ''रामगुलाम चौधरी वि. स्टेट ऑफ बिहार 2000'' भी अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:–**

> **''विवेचना अधिकारी का साक्ष्य नही होने से किसी पक्ष के साथ अन्याय नही होना है। प्रकरण में साक्षी द्वारा विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है। अनेक साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नही किया जा सकता कि विवेचक की परीक्षा नही हुयी है।''**

15. इस प्रकार उपरोक्त समग्र साक्ष्य विश्लेषण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत के आलोक में अभियोजन कथनक संदेहास्पद प्रतीत होता है। जबकि अभियोजन को अपने मामले के तथ्य को युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जिसमें अभियोजन पक्ष असफल रहा है। इसलिये साक्ष्य के आभाव में यह नही कहा जा सकता है कि आरोपी सूर्यशरण दुबे पिता अयोध्या प्रसाद दुबे ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थीया की अश्लील फोटो अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अन्य लोगो को वितरित कर प्रार्थीया की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रार्थीया एकान्ततः का अतिक्रमण किया।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 व 02 का निष्कर्ष प्रमाणित **''नही''** में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03

16. विचारणीय प्रश्न क्र. ३ यह है कि ''क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रकरण में प्रार्थीया के नाम को दर्शित करते हुये फेसबुक पर फेक आई डी बनाकर प्रकरण में प्रार्थीया की पहचान कपटपूर्वक या बेइमानी से करते हुये उक्त फेक फेसबुक आइ डी प प्रार्थीया की अर्धनग्न अश्लील फोटो अपलोड कर उपरोक्त फोटो को प्रकाशित एवं पारेषित किया जिसमें लैंगिक आचरण अंतरविष्ट है?''

17. यद्यपि वर्तमान आपराधिक प्रकरण में अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु ०१ व ०२ को प्रमाणित करने में असफल रहा है। वहीं प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में साईबर सेल जिला पुलिस कार्यालय जांजगीर में पदस्थ अ.सा. 12 कृष्ण कुमार साहू को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखा जिसमें उसके द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को अपने मुख्य परीक्ष में प्रमाणित किया है किंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव प्रश्न को स्वीकार किया है **कि जिन नंबरो का उसने परीक्षण किया उसमें से कोई भी नंबर का अभियुक्त पंजीकृत धारक नहीं है तथा हेकर कोई भी मोबाईल के**

<u>पासवर्ड से छेड़छाड़ कर सकता है और मोबाईल को हेक करने पश्चात किसी भी व्यक्ति को मैसेज किया जा सकता है।</u>

18. इस प्रकार समग्र साक्ष्य विश्लेषण से अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि क्या आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में प्रर्थीया के नाम को दर्शित करते हुये फेसबुक पर फेक आइ डी बनाकर प्रकरण में प्रार्थीया की पहचान कपटपूर्वक या बेइमानी से करते हुये उक्त फेक फेसबुक आई डी पर प्रार्थीया की अर्धनग्न अश्लील फोटो अपलोड कर उपरोक्त फोटो को प्रकाशित एवं पारेषित किया, जिसमें लैंगिक आचरण अंतरविष्ट है।''

अतः विचारणीय प्रश्न क्र. ०३ का निष्कर्ष **<u>''प्रमाणित नही''</u>** में दिया जाता है।

<u>दोषसिद्ध/दोषमुक्ति एवं दण्डादेश</u>

19. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, साक्षीगण के साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत एवं बचाव पक्ष के तर्क के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरूद्ध अपने मामले के तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **''असफल''** रहा है कि उसने दिनांक 15-01-2016 के 15.20 बजे के पूर्व ग्राम भठली अंतर्गत थाना नवागढ़ में प्रार्थीया की अश्लील फोटो अपने मोबाईल फोन के माध्यम से अन्य लोगो को वितरित कर, प्रार्थीया की लज्जा का अनादर करने के आशय से प्रार्थीया एकान्ततः का अतिक्रमण कर, प्रार्थीया के नाम को दर्शित करते हुए फेसबुक पर फेक आई.डी. बनाकर प्रकरण की प्रार्थीया की पहचान कपटपूर्वक या बेईमानी से उपयोग किया एवं उपरोक्त फेक फेसबुक आई.डी. पर प्रार्थीया की अर्धनग्न अश्लील फोटो अपलोड कर उपरोक्त फोटो को प्रकाशित एवं पारेषित किया जिसमें लैंगिक आचरण अंतरविष्ट है।

अतः आरोपी को उस पर अधिरोपित अपराध भा.द.सं. की धारा धारा 292, 509 भा.द.सं. एवं 66(ग) एवं 67 (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त के द्वारा धारा 437(क)दं0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलका को छोड़कर शेष समस्त जमानत मुचलके **भारमुक्त** किया जाता है।

21. अभियुक्त विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहे है। जिसके संबंध में धारा ४२८ द.प्र.सं. का निरोध तालिका निम्नानुसार हैः–

अभियुक्त का विवरण	**अपराध मे दी गई कारावास की सजा**	**अपराध में दिया गया अर्थदण्ड**	**विवेचना /विचारण के दौरान निरोध की अवधि**	**अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सजा**
सूर्यशरण दुबे पिता अयोध्या प्रसाद दुबे उम्र २८ साल	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।	३५ दिन	–

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

सहीं/-
सतीश कुमार खाखा
न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी
लिंक कोर्ट नवागढ़

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सहीं/-
सतीश कुमार खाखा
न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी
लिंक कोर्ट नवागढ़